भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +1205

सोमवार, 06 दिसम्बर, 2021/15 अग्रहायण, 1943 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

धरोहर स्थलों पर पर्यटक अवसंरचना के अनुरक्षण एवं सुविधाओं में सुधार हेतु उपाय

+1205.श्री रितेश पाण्डेय:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन संगठनों का ब्यौरा क्या है जो ''एक विरासत को अपनाएं: अपनी धरोहर अपनी पहचान'' कार्यक्रम को लागू करने में भागीदार हैं;

(ख) क्या कारण है कि सरकार उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत और अधिक साझेदारों और धरोहर स्थलों को सफलतापूर्वक नहीं जोड़ पाई है;

(ग) क्या सरकार भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) राज्य धरोहर स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर पर्यटक बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के अनुरक्षण में सुधार के लिए कोई अन्य उपाय कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): एक विरासत को अपनाएं परियोजना के तहत सम्पूर्ण भारत में सत्ताईस (27) साइटों और दो (2) तकनीकी हस्तक्षेपों के लिए स्मारक मित्रों को 29 समझौता ज्ञापन (एमओयू) प्रदान किए गए हैं। एक विरासत को अपनाएं परियोजना के तहत संबंधित स्मारक मित्रों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की सूची **अनुबंध I** में दी गई है।

(ग) और (घ): एएसआई/राज्य विरासत स्थलों पर पर्यटक अवसंरचना और सुविधाओं का अनुरक्षण एएसआई/राज्य पुरातत्व विभाग और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के तहत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर पर्यटक अवसंरचना और सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण करता है। इनका विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

****

अनुबंध ।

धरोहर स्थलों पर पर्यटक अवसंरचना के अनुरक्षण एवं सुविधाओं में सुधार हेतु उपाय के सम्बन्ध में दिनांक 06.12.2021 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. +1205 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में **विवरण**

'एक विरासत को अपनाएं' परियोजना के तहत किए गए समझौता ज्ञापनों की सूची:

क्र. सं.	**साइट का नाम**	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**एजेंसी का नाम (स्मारक मित्र)**
1.	गंगोत्री मंदिर क्षेत्र और गौमुख तक पगडंडी	उत्तराखंड	एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एटीओएआई)
2.	लाल किला	दिल्ली	डालमिया भारत लिमिटेड
3.	**गंडिकोटा का किला**	**आंध्र प्रदेश**	**डालमिया भारत लिमिटेड**
4.	सूरजकुंड	हरियाणा	ब्लिस इन (इंडिया)प्रा. लिमिटेड (वी-रिसॉर्ट्स)
5.	जंतर मंतर	दिल्ली	एपीजै सुरेंद्र पार्क होटल्स (प्रा.) लिमिटेड
6.	अजंता की गुफाएं	महाराष्ट्र	यात्रा ऑनलाइन प्रा. लिमिटेड
7.	कुतुब मीनार	दिल्ली	यात्रा ऑनलाइन प्रा. लिमिटेड
8.	हम्पी और हजारा राम मंदिर	कर्नाटक	यात्रा ऑनलाइन प्रा. लिमिटेड
9.	लेह पैलेस	जम्मू और कश्मीर	यात्रा ऑनलाइन प्रा. लिमिटेड
10.	प्रतिष्ठित साइटों के लिए बहुभाषी ऑडियो गाइड का विकास	i. आमेर किला, राजस्थान ii. महाबोधि मंदिर, बिहार iii. चांदनी चौक, दिल्ली iv. सोमनाथ, गुजरात	रेसबर्ड टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड (बर्ड हेरिटेज फाउंडेशन)
11.	प्रतिष्ठित साइटों (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, स्मारकों) के लिए बहुभाषी ऑडियो गाइड का विकास	i. धोलावीरा, गुजरात ii. हुमायूँ का मकबरा, दिल्ली iii. लाल किला दिल्ली iv. पुराना किला दिल्ली v. फतेहपुर सीकरी, आगरा vi. ताज महल आगरा vii. महाबलीपुरम,	रेसबर्ड टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड (बर्ड हेरिटेज फाउंडेशन)

		तमिलनाडु viii. खजुराहो, मध्य प्रदेश	
12.	अब्दुर रहीम खान-ई-खाना	दिल्ली	इंटरग्लोब फाउंडेशन
13.	बेकल किला	केरल	दृष्टि लाइफसेविंग प्रा. लिमिटेड
14.	चंपानेर-पावागढ़ पुरातत्व उद्यान	गुजरात	अक्षर ट्रेवल्स प्रा. लिमिटेड
15.	रानी की वाव, पाटन	गुजरात	अक्षर ट्रेवल्स प्रा. लिमिटेड
16.	सूर्य मंदिर, मोढेरा	गुजरात	अक्षर ट्रेवल्स प्रा. लिमिटेड
17.	बौद्ध गुफाएं, उपरकोट, जूनागढ़	गुजरात	अक्षर ट्रेवल्स प्रा. लिमिटेड
18.	गोल गुंबद	दिल्ली	रेसबर्ड टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड (बर्ड हेरिटेज फाउंडेशन)
19.	अगुआडा किला	गोवा	दृष्टि लाइफसेविंग प्रा.लिमिटेड
20.	कृष्णा मंदिर, हम्पी	कर्नाटक	हेरिटेज रिसॉर्ट्स, हम्पी (इंडो एशिया लीजर सर्विसेज लिमिटेड की एक इकाई)
21.	एलीफेंटा अस्तबल, हम्पी	कर्नाटक	ऑरेंज काउंटी रिसॉर्ट्स एंड होटल्स लिमिटेड
22.	पट्टाभिराम मंदिर, हम्पी	कर्नाटक	ऑरेंज काउंटी रिसॉर्ट्स एंड होटल्स लिमिटेड
23.	जनाना इन्स्लोजर (लोटस महल), हम्पी	कर्नाटक	ऑरेंज काउंटी रिसॉर्ट्स एंड होटल्स लिमिटेड
24.	उग्रा नरसिम्हा मंदिर, हम्पी	कर्नाटक	होटल मलीगी प्रा. लिमिटेड
25.	बडाविलिंग मंदिर, हम्पी	कर्नाटक	होटल मलीगी प्रा. लिमिटेड
26.	बड़ालाओ का गुंबद	दिल्ली	बर्ड हेरिटेज फाउंडेशन
27.	मंडोर किला	राजस्थान	मेहरानगढ़ संग्रहालय ट्रस्ट
28.	दारा शिकोह पुस्तकालय भवन	दिल्ली	कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट (टीएएसीएचटी) और संग्रहालय और कला परामर्श (एमएसी)
29.	नारायणकोटी मंदिर	उत्तराखंड	सामाज विधिक अनुसंधान फाउंडेशन

******

अनुबंध –II

धरोहर स्थलों पर पर्यटक अवसंरचना के अनुरक्षण एवं सुविधाओं में सुधार हेतु उपाय के सम्बन्ध में दिनांक 06.12.2021 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. +1205 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में **विवरण**

1. पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता

पर्यटन स्थलों के विकास, स्मारकों के प्रदिसीकरण और संरक्षण, क्रूज टर्मिनलों के विकास आदि के लिए विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आईटीडीसी, रेलवे मंत्रालय आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना और पर्यटकों के लिए आवश्यक सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना।

(करोड़ रु में)

क्र सं	वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि
1	2014-15	3	21.67	17.69
2	2016-17	4	70.07	54.71
3	2017-18	6	55.68	38.53
5	2018-19	5	80.55	52.50
6	2019-20	4	85.85	35.91
7	2020-21	4	92.49	34.03
8	2021-22	1	50.00	25.00
	कुल	**23**	**456.31**	**258.37**

2. पर्यटन अवसंरचना विकास

अवसंरचना का विस्तार पर्यटन क्षेत्र के विस्तार की कुंजी है। मंत्रालय के खर्च का बड़ा हिस्सा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैले विभिन्न पर्यटन स्थलों और परिपथों पर पर्यटन से संबंधित गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास में जाता है। वर्तमान में पर्यटन मंत्रालय में पर्यटन अवसंरचना के निर्माण के लिए निम्नलिखित योजनाएं परिचालित की गई हैं:

2.1 स्वदेश दर्शन योजना- विशिष्ट थीमों पर आधारित पर्यटक परिपथों का समेकित विकास

पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में अपनी स्वदेश दर्शन योजना शुरू की जिसके तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके परामर्श से पर्यटन अवसंरचना परियोजनाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसकी स्थापना के बाद से 2018-19 तक देश में कुल 76 परियोजनाओं को संशोधित स्वीकृति राशि 5524.82 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत किया गया है। इस योजना के तहत परियोजनाओं को निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तुति, योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन और पहले जारी की गई निधियों के उपयोग आदि की शर्त पर स्वीकृत किया जाता है। इन योजनाओं के तहत परियोजनाओं की मंजूरी एक सतत प्रक्रिया है।

2.2 चिह्नित तीर्थस्थलों और विरासत गंतव्यों के समग्र विकास के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय

द्वारा 'तीर्थस्थल उद्धार एवं अध्यात्म वर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन' (प्रसाद) शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य अवसंरचना का विकास करना है जैसे कि गंतव्य प्रवेश बिंदुओं अर्थात सड़क, रेल और जल परिवहन के यात्री टर्मिनल, एटीएम/मनी एक्सचेंज काउंटर के साथ बुनियादी सुविधाओं जैसे कि पर्यटन सूचना/निर्वचन केन्द्रों का विकास/उन्नयन, सड़क संपर्क में सुधार (आखिरी मील तक संपर्क), परिवहन के पर्यावरण हितैषी साधनों के लिए उपकरण का प्रापण और पर्यटक गतिविधियों जैसे कि लाइट एंड साउंड शो, वाटर/एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए उपकरण, पार्किंग की सुविधाएं, शौचालय, क्लाक रूम की सुविधाएं, वेटिंग रूम, क्राफ्ट हाट/बाजार/सोवनियर शॉप/कैफेटेरिया का निर्माण, रेन शेल्टर, वाच टावर, फर्स्ट एड सेंटर का निर्माण, टेलीफोन बूथ, मोबाइल सर्विस, इंटरनेट कनेक्टिविटी, वाईफाई हाटस्पाट की स्थापना के माध्यम से संचार में सुधार। इसके अलावा, समुद्री तटों के विकास और प्राकृतिक जलपिंडों के उद्धार को भी शामिल किया गया है।

आज की तारीख में इस योजना के अंतर्गत 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विकास के लिए चिह्नित स्थलों की कुल संख्याक 57 है। आज की तारीख में मंत्रालय ने 24 राज्यों में 1214.19 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के साथ 36 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है और वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2018-19 और वर्तमान वर्ष तक इन परियोजनाओं के लिए कुल 675.89 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

****